



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS



नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फाइल सं. 25-59011/1/2022-नॉटिकल-नौमनि

दिनांक: 16.12.2022

नौमनि परिपत्र संख्या 2022 का 24

विषय: प्रमुख एवं गैर-प्रमुख पत्तनों के पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी एड्वाइसरी

कमिन्टि(पीएफएसएसी) का संघटन-दिनांक 15.02.2022 के नौमनि परिपत्र सं 4/2022 का

अनुशेष-संबंधी

1. जबकि, निदेशालय ने प्रमुख एवं गैर-प्रमुख पत्तनों के पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी एड्वाइसरी कमिन्टि(पीएफएसएसी) के संघटन के संबंध में दिनांक 15.02.2022 का नौमनि नॉटिकल स्कंद परिपत्र 4/2022 जारी किया था।
2. जबकि, दिनांक 15.02.2022 के नौमनि नॉटिकल स्कंद परिपत्र 4/2022 के पैरा 2 के अनुसार, निम्नलिखित में से प्रत्येक एक उपयुक्त प्रतिनिधि पीएफएसएसी में शामिल होगा:-

- संबंधी पत्तनों के पोर्ट फैसिलिटी सेक्यूरिटी ऑफिसर(पीएफएसओ)
- सीमा शुल्क विभाग
- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)
- केंद्रीय आसूचना एजेंसियाँ(आईबी)
- राज्य आसूचना एजेंसियाँ
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सीआईएसएफ)
- स्थानीय पुलिस
- आप्रवासन विभाग

9वीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

- भारतीय नौसेना
 - भारतीय तटरक्षक बल
 - संबंधित पत्तन के अध्यक्ष/सीईओ द्वारा उचित समझे गए, सरकार[केंद्रीय/राज्य] का अन्य कोई संबंधी एजेंसी
3. नेशनल सेक्यूरिटी कॉउंसिल सेक्रेटेरिएट(एनएससीएस) के निर्देश को देखते हुए, निदेशालय ने दिनांक 15.02.2022 को नोमनि नॉटिकल स्कंद परिपत्र 4/2022 की समीक्षा की है और पीएफएसएसी के सदस्य के रूप में स्टेट मैरिटाइम सेक्यूरिटी कोऑर्डिनेटर्स(एसएमएससी) को शामिल करने का निर्णय लिया है।
4. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कप्तान नितिन मुकेश)

नॉटिकल सर्वेक्षक-सह-उपनौमनि(तकनीकी)